न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 09/21 सन् 2021

RCMS NO-2021/ 101

बउनवानी:–1. जगदीश पुत्र बदरीलाल अहीर, निवासी डांगरवाडा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 50 निर्णय दिनांक 24.3.2001 वाके ग्राम डांगरवाडा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:– 1. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील अपीलान्ट

2. श्री तोफिक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 16.2.2023

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 50 निर्णय दिनांक 24.3.2001 वाके ग्राम डांगरवाडा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 संख्या 50 ग्राम डांगरवाडा सिवायचक से जगदीश पुत्र बदरी के नाम दिनांक 24.3.2001 को तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने आई. एल.आर. की रिपोर्ट दिनांक 25.7.2000 को आधार बनाकर नामा0 नियमों की पालना किये बिना एवं अपीलान्ट को सुने बिना पारित किया है जो प्राकृति न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई मौका कब्जे की जॉच नही की गयी है जबकि नामा0 नियमों के मुताबिक कब्जे की जॉच कर नामा0 का निर्णय करना चाहिए। अपीलाधीन नामा0 में वर्णित आराजी साबिक ख0न0 3 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी 3 भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 27.5.2000 के पंचायत मुख्यालय रामपुरा पर किया गया जिसका गैर खातेदारी का नामा0 भर दिया गया तथा मौके पर अपीलान्ट को कब्जा सम्भला दिया गया लेकिन प्रहलाद पुत्र गोरधन बैरवा के पक्ष मे भरे गये नामा0 संख्या 46 पर आ[illegible]. द्वारा की गयी रिपोर्ट के आधार पर 6 व्यक्तियों को ख0न0 3/2 व 3 में [illegible] आ[illegible] की थी इस पर रकबा 8 बीघा शेष होना अंकन किया उक्त रिपोर्ट को आधार बनाकर विधि विरूद्ध तरीके से नामा0 अस्वीकृत किया गया है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 5.4.2021 को पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
[illegible]ाई माधोपुर

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पेश की गयी वस्तुस्थिति की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट जगदीश पुत्र बदरी लाल अहीर निवासी डांगरवाडा को आवंटन सूची के अनुसार साबिक ख0न0 3 मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 27.5.2000 को होने पर ग्राम डांगरवाडा मे नामा0 संख्या 50 पर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा साबिक ख0न0 3/2 रकबा 48 बीघा में से 5 बीघा का नामा0 दर्ज किया गया उक्त नामा0 पर तत्कालीन पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक आवंटन सूची ख0न0 3/2 व 3 मे 6 व्यक्तियों को कुल 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी जबकि जमाबन्दी में इस ख0न0 में केवल 8 बीघा रकबा शेष होने के कारण तत्कालीन तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा नामा0 अस्वीकार कर दिया है। यह तर्क भी दिया कि साबिक ख0न0 3/2 से बने हाल ख0न0 272 रकबा 4.56 है0 पर सीमेन्ट के पिल्लर गाडकर अपीलान्ट जगदीश पुत्र बदरी लाल अहीर ने कब्जा कर रखा है। मौके पर किसी तरह की कोई फसल काश्त नही है भूमि पडत पडी हुई है। उक्त अपीलान्ट का ख0न0 272 रकबा 1.20 है0 पर एक दो वर्ष से ही कब्जा है पुराना कब्जा नही है। इस प्रकार अपीलान्ट का उक्त आवंटित भूमि पर तत्समय कब्जा नही था तथा आवंटन के अनुसार आवंटित ख0न0 में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नही होने के कारण आदेश जैर नामा0 अस्वीकृत किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। इसलिए अपील खारिज किये जाने अथवा इस अपील की कार्यवाही स्थिगित रखे जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि मुताबिक रिपोर्ट एवं रिकार्ड साबिक ख0न0 3/2 एवं 3 वाके ग्राम डांगरवाडा में 6 व्यक्तियो को कुल 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 27.5.2000 को किया गया था जबकि जमाबन्दी में केवल 8 बीघा भूमि ही उक्त ख0न0 3/2 व 3 में शेष रही थी। इस प्रकार आवंटित भूमि 19 बीघा 10 बिस्वा के मुकाबले मौके पर मात्र 8 बीघा भूमि शेष रहने के कारण आवंटित भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में भरा गया नामा0 संख्या 50 दिनांक 24.3.2001 को अस्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत होने के कारण आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तेक्षप करने की आवश्यकता नही प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर